श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय : श्री टावर्स, प्लॉट नं. 14ए, साउथ फेज इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600 032

शाखा कार्यालय : नंबर 21, रोयापेट्टाह हाई रोड, निकट विद्या मंदिर स्कूल, केनरा बैंक के ऊपर, एलयूजैड, मायलापुर चेन्नई–600004 **वेबसाइट :** www.shriramfinance.in

कब्जा सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनियन फाइनैंस लिमिटेड" का समामेलन "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस लिमिटेड" के साथ हो चुका है। तदुपरांत, नाम परिवर्तन निगमन प्रमाणपत्र दिनांकित 30–11–2022 के अनुसार "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस लिमिटेड" का नाम 30–11–2022 की प्रभावी तिथि से "श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड" हो गया है।

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड (एसएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत नीचे तालि. का में वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें उनसे उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित राशि चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा 19–अगस्त–2026 को ले लिया है।

एतद्द्वारा कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड की नीचे तालिका में वर्णित बकाया ऋण राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार का नाम एवं पता

ऋण संख्या RSSDLLP2207050008 और RSSDLLP2207050006

1. श्री मनमोहन कालिया (कर्जदार)

स्वामी– मेसर्स कालिया प्रॉपर्टीज

2754, गली नंबर 13 जीएफ, रंजीत नगर, पटेल नगर, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110008

2. श्री गौरव कालिया (सह–कर्जदार/गारंटर)

2754, गली नंबर 13 जीएफ, रंजीत नगर, पटेल नगर, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110008

3. श्रीमती ऋचा अरोड़ा (सह–कर्जदार/गारंटर)

2754, गली नंबर 13 जीएफ, रंजीत नगर, पटेल नगर, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110008

4. मेसर्स कालिया प्रॉपर्टीज (सह–कर्जदार/गारंटर)

इसके स्वामी– श्री मनमोहन कालिया के माध्यम से

2754, गली नंबर 13 जीएफ, रंजीत नगर, पटेल नगर, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110008

एनपीए दिनांक– 02–06–2026

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि

मांग सूचना की तिथि : 05–06–2026

04 जून 2026 तक ऋण खाता संख्या RSSDLLP2207050008 में रु. 4,55,595.53/– (रुपये चार लाख पचपन हजार पांच सौ पंचानवे और पैसे तिरेपन मात्र) और 04 जून 2026 तक ऋण खाता क्रमांक RSSDLLP2207050006 में रु. 40,12,159/– (रुपये चालीस लाख बारह हजार एक सौ उनसठ मात्र)

+ नियम और शर्तों के अनुसार आगे ब्याज और शुल्क

सम्पत्ति का विवरण

फ्रीहोल्ड संपत्ति एमपीएल नंबर XVII/2754 में निर्मित सम्पूर्ण भू तल, टेरेस/छत के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 210 वर्ग गज, उपरोक्त संपत्ति के नीचे की भूमि के यथानुपात, अविभाजित, अविभाज्य और अवियोजनीय स्वामित्व अधिकार, संपत्ति रणजीत नगर, नई दिल्ली–110008 की आबादी में स्थित है।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को भी सावधान करने हेतु सूचना दी जाती है कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के पास ऊपर वर्णित अचल संपत्तियों का विधिसम्मत सांकेतिक कब्जा है और कर्जदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात, एसएफएल की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना, इस सूचना में वर्णित किसी भी प्रतिभूत आस्ति का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से सौदा/हस्तांतरण नहीं करेगा।

स्थान : दिल्ली — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी

तिथि : 19–08–2026 — श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड

दिल्ली से उत्तराखंड में
पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण
फार्म सं. आईएनसी–26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केंद्र सरकार के समक्ष
आर डी दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय–I के समक्ष

कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के साथ पठित के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 और 13(4) के मामले में

और

नैनी सॉल्वेक्स लिमिटेड
(सीन: U15413DL1992PLC048213),
कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3री मंजिल, जे–54, जे ब्लॉक, जेड–मोर के पास, इन्दू रोड, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, सैदुलाजाब, गदाईपुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110030 (दिल्ली) भारत के मामले में
...याचिकाकर्ता कंपनी

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए **केन्द्र सरकार** को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह **पारित विशेष समाधान** जिसेप प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम बनाने हेतु **20 अगस्त 2026** को आयोजित बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राज्य" से "उत्तराखंड राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो विशेषज्ञ शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित / विपत्र के आधार हो, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, जिसका पता **बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003** को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय **को** इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज दे।

वर्तमान पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, जे–54, जे ब्लॉक, जेड–मोर के पास, इन्दू रोड, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, सैदुलाजाब, गदाईपुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110030 (दिल्ली) भारत
कृते और उसकी ओर से
नैनी सॉल्वेक्स लिमिटेड
(अतुल पाल)
निदेशक
डीआईएन– 08881684
निवासी: नैनीताल रोड, अमरपाली होटल के पीछे, अंबिका विहार, हल्द्वानी–263141, यू. एस. नगर (उत्तराखंड)
दिनांक: 24.08.2026
स्थान: दिल्ली

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
'ए' ब्लॉक, प्रथम तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002
सं. एफए–536/19/बी–1/दिनांक 05.08.2026
प्रकरण में
एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
बनाम
जितेंद्र कुमार

1. जितेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय जय दयाल, मकान संख्या 133, गली संख्या 1, ग्राम चौहानपुर, बदरपुर खादर, उत्तर–पूर्वी दिल्ली–110094

जबकि आपके विरुद्ध एक अपील/शिकायत इस आयोग के समक्ष अधिनिर्णयन हेतु प्रस्तुत की गई है। दिनांक 26.05.2026 के आदेश के अनुपालन में, अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी/विपक्षी पक्षकार पर समन की प्रतिस्थापित तामील समाचार पत्र "जनसत्ता" में हिंदी भाषा में तथा "द हिंदू" में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन के माध्यम से कराए, ताकि वह दिनांक 14.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे ठीक इस आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता अथवा विधिवत निर्देशित एवं अपील/शिकायत के संबंध में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो।

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को आगे निर्देशित किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख से पूर्व एक शपथपत्र दाखिल करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी/विपक्षी पक्षकार पर तामील प्रभावी कर दी गई है।

मेरे हस्ताक्षर एवं इस आयोग की मुहर के अधीन दिनांक 05.08.2026 को जारी किया गया।

हस्ताक्षर/–
रजिस्ट्रार
राज्य आयोग

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

CSB Bank Trusted Heritage Smart Future

गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

विशिष्ट उधारकर्ता/ओं और इच्छुक बोलीदाताओं को, सामान्य रूप से, सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी भुगतान नोटिस और रिकॉल/नीलामी नोटिस के बावजूद उधारकर्ताओं द्वारा बैंकों को देय राशि का भुगतान न करने के कारण, उनके द्वारा लिए गए ऋण के लिए संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा बैंक सुरक्षा के साथ गिरवी रखे गए सोने के आभूषण को दिनांक **28 सितम्बर 2026 को सुबह 10.30 बजे** "जैसा है जहां है" और "गैर–सहारे" के आधार पर सार्वजनिक नीलामी में बेचे जाएंगे। बैंक के नोटिस बोर्ड पर इसके प्रकाशन के पश्चात बैंक के विवेकानुसार नीलामी को किसी अन्य बाद की तिथि तक स्थगित किया जा सकता है। ऋणकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि सार्वजनिक नीलामी सफल नहीं होती है और उसके पश्चात कोई और शेष राशि वसूल की जानी है, तो ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के विरुद्ध बैंक को देय शेष राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक ऋणकर्ता के मामले में, सभी शर्तें कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

क्र. सं.	नीलामी केन्द्र सीएसबी शाखा	खाते का नाम	ग्राहक आईडी	खाते की सं.	दिनांक 20.08.2026 तक बकाया राशि	वजन (ग्राम)
1	नोएडा	कमलेश गुप्ता	10263336	001	64,86,483.80	578.15
2	नोएडा	राजीव कुमार सिंह	03924810	001	12,12,154.22	122.79
3	नोएडा	रोहित शर्मा	08241404	001	4,68,943.57	40.00
4	नोएडा	सुमित कुमार	10173339	001	1,52,430.65	18.45
5	गाजियाबाद	खुर्शद कुरैशी	10223863	001	11,38,426.39	126.20
6	गाजियाबाद	नफीस अहमद	10173873	001	60,533.50	7.02
7	कोसी कला	बलवीर सिंह	04083600	004	9,03,265.43	137.58
8	कोसी कला	फजरुद्दीन	05045195	001	1,84,412.15	41.80
9	कोसी कला	यश गोयल	07305603	001	1,95,946.05	23.70
10	कोसी कला	यशपाल सिंह	07806046	001	6,82,442.38	79.00
11	आगरा	आशीष कुमार	04467138	006	9,61,368.51	114.30
12	आगरा	कृष्ण कुमार सिंह	07747570	003	15,07,321.48	213.70
13	आगरा	मुकेश चंद्र शर्मा	04139284	002	3,52,463.08	72.90
14	आगरा	प्रतीक मिश्रा	10003330	001	3,76,349.63	61.40
15	कानपुर 1– स्वरूप नगर	आरुषि महाजन सिंह	10251722	001	7,64,790.41	75.55
16	कानपुर 1– स्वरूप नगर	इकबाल जफर	10059404	002	44,47,196.56	399.59
17	नोएडा 3– सेक्टर 18	अनंत पांडे	05024094	001	41,313.24	8.05
18	लखनऊ 2–इंद्रा नगर	मधु पांडे	10333465	001	8,95,150.07	84.08
19	प्रयागराज–सिविल लाइंस	मोहम्मद शाबान	10109425	002	7,81,433.35	100.29

अधिक जानकारी/खाता जानकारी के लिए उधारकर्ता/इच्छुक बोलीदाता संबंधित शाखाओं से, और नीलामी में भाग लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश | 23.08.2026 — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,, सीएसबी बैंक

मुंबई ऋण वसूली अधिकरण सं. II में
(वित्त मंत्रालय)
3री मंजिल, टेलीफोन भवन, स्ट्रैंड रोड कोलाबा, मुंबई – 400 005
मूल आवेदन सं. 2025 का 437

प्रदर्श : 11

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ...आवेदक

बनाम

मुन्ना मुश्ताक कुरैशी एवं अन्य ...प्रतिवादीगण

समन

जैसाकि, ओ. ए. सं. 2025 का 437 दिनांक 09.07.2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जैसाकि, यह माननीय अधिकरण आपके विरुद्ध **रु. 35,50,405.81/– (रुपये पैंतीस लाख पचास हजार चार सौ पांच और एकासी पैसे मात्र)** के ऋण की वसूली के लिए दायर उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19(4) के तहत समन जारी करते हुए प्रसन्न है। (दस्तावेजों आदि के साथ आवेदन संलग्न है)।

जैसाकि, समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी और चूंकि प्रतिस्थापित तामील के आवेदन को इस माननीय अधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप, यानी प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है—

1. समन की तामील के 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थना की गई राहत क्यों न प्रदान की जाए।
2. मूल आवेदन के क्रमांक 3(ए) के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों के विवरण का खुलासा करें।
3. संपत्तियों की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आप मूल आवेदन के क्रमांक 3(ए) के तहत खुलासा की गई ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और सुरक्षित संपत्तियों के लेन–देन या निपटान करने से निषिद्ध किये जाते हैं।
4. आप अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, व्यापार के सामान्य क्रम को छोड़कर, बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी परिसंपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे, जिस पर प्रतिभूति हित बनाया गया है और/या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करेंगे।
5. आप व्यापार के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री आय को ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान के पास बनाए गए खाते में जमा करेंगे।
6. आपको एक लिखित बयान) दाखिल करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को प्रस्तुत की जाए और 09/10/2026 को पूर्वाहन 11:00 बजे डीआरटी–II के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा न करने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के तहत आज दिनांक 04 मई, 2026 को जारी किया गया।

हस्ता./–
रजिस्ट्रार
डीआरटी–II, मुंबई

मुहर

सेवा में,

1. **मुन्ना मुश्ताक कुरैशी (उधारकर्ता)**
एक वयस्क, भारतीय निवासी, जिनका पता है:
कमरा नं. 209, शरद नगर, आर.सी. मार्ग, वाशीनाका, चेंबूर, मुंबई – 400074, महाराष्ट्र
2. **जैनब खातून (सह–उधारकर्ता)**
एक वयस्क, भारतीय निवासी, जिनका पता है:
मकान/इमारत/अपार्टमेंट 7, गांव/शहर खजूरिया, जिला सिद्धार्थनगर, पोस्ट ऑफिस बेल्टीकर, उत्तर प्रदेश – 272206



यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय का पता: बी–17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार मांग नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील किया जा रहा है। मांग नोटिस की सामग्री इस प्रकार है:

क्र.सं.	कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1	1) श्री किशोरी जी साड़ी केंद्र 2) सुंदर सिंह 3) पिंकी सिंह लैन – UGKANMS0000092291	मांग सूचना तिथि 10.08.2026 रु. 59,01,988.00 (रु. उनसठ लाख एक हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र) दि 05.08.2026 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 401 चौथी मंजिल मधुवन अपार्टमेंट प्लॉट नं. 174, ब्लॉक–ई स्कीम नं.–02, सुजातगंज कानपुर नगर निर्मित क्षेत्रफल 89.75 वर्ग मीटर भूमि में आनुपातिक हिस्सा 31.68 वर्ग मी. सहित सीमा विवरण (दस्तावेजों के अनुसार): उत्तर: प्लॉट नं. 175, पूर्व: सेट बैक एवं 12.19 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम: लिफ्ट, लॉबी एवं सीढ़ी, दक्षिण: फ्लैट नं. 402

उधारकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे मांग सूचना का पालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और खर्च सहित, मांग राशि का भुगतान करें। उधारकर्ता यह ध्यान रख सकते हैं कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ उधारकर्ता द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो उग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना शामिल है, लेकिन यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय के लागू करके उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित संपत्ति का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपचार यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपचारों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को वापस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, उधारकर्ता को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बेचने, पट्टे (लीज) पर देने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) से प्रतिबंधित/वर्जित किया जाता है। उपरोक्त का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और यदि ऋणकर्ता चाहे, तो वे इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : उत्तर प्रदेश — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांक : 24.08.2026 — कृते यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, authorised.officer@ugrocapital.com

---

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्
(भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासनाधीन स्वायत्तशासी संस्था)
संस्कृत भवन, नया हैदराबाद, निशातगंज, लखनऊ

शीघ्र रजिस्ट्रेशन करें

लखनऊ में

संस्कृत साहित्य के साथ सिविल सेवा की तैयारी का सुनहरा अवसर

फ्री कोचिंग के साथ स्कॉलरशिप

महत्त्वपूर्ण तिथि
निःशुल्क रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ :
22 अगस्त से 15 सितम्बर, 2026
सत्र प्रारम्भ : नवम्बर–2026

IAS
सत्र 2026-27 की परीक्षा हेतु

संस्कृत साहित्य के साथ पढ़े सामान्य अध्ययन दिल्ली, लखनऊ के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा

सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् की वेबसाईट http://upsanskritsansthanam.in पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें अथवा http://upssncivilcoaching.com लिंक पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

पात्रता : • आवेदन प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि तक विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता। • **आयु सीमा :** 21 से 35 वर्ष • कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। • **प्रवेश परीक्षा का विषय :** सामान्य अध्ययन एवं संस्कृत सामान्य व्याकरण की होगी।

प्रवेश परीक्षा लखनऊ में आयोजित होगी।

कोचिंग कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

नोट–1 : इस कोचिंग की पूर्ण अवधि में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे।

- नामचीन अध्ययन एवं संस्कृत साहित्य के, दिल्ली के वरिष्ठ अनुभवशील विशेषज्ञों द्वारा कोचिंग।
- ऑनलाइन/ऑफलाइन एवं रेडियो लेक्चर के माध्यम से कक्षाएं।
- संस्कृत साहित्य अध्ययन एवं सामान्यविधी की द्विभाषीय पाठ्य सामग्री।
- बहुविकल्पीय क्लास टेस्ट एवं टेस्ट सीरीज तथा सामान्यविधी की साप्ताहिक समीक्षा।
- आध्यात्मिक डिजिटल पुस्तकालय। • पूर्ण परीक्षा हेतु लेक्चर कॉपियां संबंधित कार्यक्रम।

योजना की सफलता
इस योजना के अन्तर्गत सिविल सेवा सहित अन्य सेवाओं में 78 से अधिक छात्र अन्तिम रूप से चयनित हो चुके हैं।

नोट–2: संस्कृत साहित्य रखकर तैयारी करने वाले ही आवेदन करें।
निदेशक: उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
+91-9936469208 / +91-6390006920, 0522-4330139

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.09.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

शाखाओं की सूची

दिल्ली, भोलेनाथ नगर दिल्ली, 0121570700018275, 8296, 0121570730012377, 3568, 5614, 5654, 5665, 5666, 5689, 5693, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5707, 5720, 5722, 5723, 5724, द्वारका सेक्टर 7, 0113760700016785, 7422, 7434, 7443, 7444, 7451, 7474, 0113760730017115, 5474, 5475, 5478, 5480, 5481, 5482, 5488, 5498, 5499, 5534, 5538, 5540, 5541, 5542, 5543, 5545, 5551, 5553, 5580, 5598, 5599, 5600, 5605, 5608, 5611, गीता कॉलोनी, 0107590700034423, 4572, 4609, 4628, 4636, 5486, 5493, 5498, 5502, 5532, 5536, 5537, 5540, 5545, 5558, 5561, 5692, 0107590730017414, 8178, 8199, 8270, 8374, 2810, 2811, 2812, 2813, 2826, 2830, 2842, 2848, 2849, 2851, 2856, 2858, 2868, 2869, 2870, 2872, 2882, 2883, 2895, 2896, 2897, 2923, 2931, 2940, 2943, 2946, 2956, 2957, 2958, 2959, 2964, 2982, 2985, 2987, 2988, 2989, 2991, 2992, 2997, 3000, 3008, कड़कड़डूमा, 0102760700015711, 5788, 5790, 6199, 6202, 6203, 6211, 6226, 6238, 0102760730022764, 2781, 2789, 2793, 2794, 2798, 2805, 2822, 2825, 2830, 2831, कालकाजी, 0100870700083133, 3142, 3171, 3215, 3223, 3224, 3226, 4222, 4226, 4250, 4276, 4284, 4300, 4315, 4316, 4340, 0100870730047509, 2515, 2711, 2727, 2739, 2740, 2743, 2757, 2758, 8628, 8639, 8642, 8643, 8665, 8672, 8673, 8674, 8679, 8680, 8681, 8683, 8701, 8708, 8721, 8747, 8757, 8762, 8821, 8833, 8842, 8871, 8873, क्रिष्णन नगर, 0108530700023403, 3436, 4103, 4122, 4131, 4134, 4140, 4167, 0108530730058288, 8315, 8316, 8317, 8318, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8328, 8363, 8365, 8366, 8367, 8368, 8373, 8374, 8375, 8381, 8386, 8391, 8397, 8404, 8410, 8411, 8412, 8417, 8428, लक्ष्मी नगर, 0100890700071457, 3166, 4406, 4598, 4927, 4980, 4985, 5006, 5038, 5057, 6172, 6177, 6187, 6193, 6203, 6220, 6246, 6247, 6248, 6249, 6258, 6272, 6274, 6293, 0100890730042840, 3002, 3049, 3085, 9718, 9753, 9754, 9757, 9758, 9769, 9788, 9792, 9799, 9801, 9803, 9805, 9845, 9847, 9848, 9849, 9851, 9863, 9870, 9878, 9894, 9898, 9921, 9937, 9938, 9939, 9944, 9960, 9967, 9968, 9974, 9981, 9984, 9987, 9988, 9989, 9998, 0007, 0009, 0020, 0021, 0025, मंगल पुरी, 0109040700067202, 7253, 7287, 7326, 8883, 8912, 8954, 9013, 9022, 9042, 9046, 0109040730038830, 8861, 8862, 8869, 8953, 9129, 9172, 5103, 5141, 5154, 5183, 5184, 5185, 5195, 5196, 5197, 5207, 5209, 5212, 5213, 5246, 5259, 5295, 5296, 5297, 5298, 5302, 5324, 5329, 5346, 5358, 5362, 5371, 5372, 5400, 5410, 5429, 5431, 5433, 5434, 5450, 5456, 5458, 5463, 5464, 5486, 5499, 5510, रानीबाग, 0108720700019373, 9420, 0113, 0116, 0121, 0131, 0152, 0157, 0158, 0161, 0176, 0258, 0108720730035564, 5573, 5578, 5598, 5602, 5604, 5611, 5613, 5616, 5617, 5625, 5626, 5641, 5644, 5646, 5647, 5648, 5652, 5657, 5658, 5662, 5665, 5667, 5676, 5679, 5680, 5685, 5688, 5696, 5697, 5701, 5702, 5703, 5707, 5712, 5715, रोहिणी, 0100900700721040, 1594, 1599, 1601, 1603, 1607, 1615, 1616, 1622, 1627, 1628, 1629, 0100900730025779, 5788, 5799, 5803, 5804, 5808, 5840, शालीमार बाग, 0102780700022859, 2913, 2924, 3626, 3630, 3644, 3646, 3648, 3656, 3657, 3658, 3661, 3680, 3681, 3682, 3690, 3693, 3694, 3700, 3703, 3704, 3706, 3715, 3724, 3725, 3811, 0102780730025519, 5559, 5563, 5576, 5596, 5602, 5611, 5612, 5614, 5625, 5627, 5628, 5629, 5630, 5641, 5646, 5656, 5658, 5668, 5671, 5676, 5679, 5681, शास्त्री नगर, 0108450700032263, 2345, 3118, 3125, 3137, 3149, 3161, 3168, 3169, 3172, 3184, 3194, 3198, 0108450730029487, 6461, 6481, 6484, 6487, 6488, 6504, 6515, 6516, 6521, 6